(139)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1155–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–12–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 56/अपील/2014–15.

मेसर्स अभिजीत बिल्डकॉन प्रा.लि. भोपाल
द्वारा संचालक एम.के. अग्रवाल
आत्मज स्व. एस.एन. अग्रवाल
निवासी प्लॉट नम्बर 83, जोन 02
महाराणा प्रताप नगर
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

करण होरा आत्मज मुकेश होरा
निवासी ई–1/188
अरेरा कॉलौनी भोपाल .....अनावेदक

श्री आर0एस0 चौधरी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा ग्राम बोरदा की नामान्तरण पंजी कमांक 05 में पारित आदेश दिनांक 8–12–12 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष दिनांक 19–6–14 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 56/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 17–12–14 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना पर्याप्त एवं सद्भावी कारण के 2 वर्ष 6 माह 13 दिन का विलम्ब क्षमा किया गया है, जो कि अवधि विधान की धारा 5 की मंशा के विपरीत है ।

(2) इतनी लम्बी अवधि का विलम्ब प्रत्येक दिन का कारण बिना प्रदर्शित करने की स्थिति में क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि अनावेदक द्वारा इस लम्बे विलम्ब हेतु कोई सद्भावी अथवा असमर्थता का कारण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं दर्शाया गया है ।

(3) आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त होने के 10 दिन पश्चात प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है, और इस विलम्ब का कोई कारण अनावेदक ने नहीं दर्शाया है । इस प्रकार जानबूझकर किये गये विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोषपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(4) नामान्तरण आदेश दिनांक 8–12–12 की जानकारी अनावेदक को प्रथम बाद दिनांक 9–6–12 को किस स्रोत से प्राप्त हुई, इसका कोई उल्लेख अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में नहीं किया गया है । जानकारी का स्रोत छिपा लेना अनावेदक की दुर्भावना दर्शाता है, जो सद्भावी नहीं है ।

(5) अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत केवल सद्भावना पूर्ण विलम्ब तथा सकारण को ही विचार में लिया जा सकता है, अन्य आधारों पर नहीं है ।

(6) आवेदक के नामान्तरण कार्यवाही में सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति का विधिवत प्रकाशन हुआ है, और नामान्तरण कार्यवाही की जानकारी हर आम व्यक्ति को रही है । इसके अतिरिक्त अनावेदक का प्रश्नाधीन भूमि से कोई सम्बंध नहीं है, और न ही वह कभी इस भूमि का भूमिस्वामी रहा है ।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उनके समक्ष प्रचलित अपील समाप्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को अविवादित मानकर नामान्तरण पंजी पर नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि विवादित भूमि है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक आदेश होकर क्षेत्राधिकार रहित आदेश है और ऐसे आदेश के संबंध में समय सीमा महत्वहीन है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय सीमा में मान्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–12–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर